BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 मार्च 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैर-इरादतन हत्या करने का प्रयास के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त चीकू उर्फ लोकेश पुत्र जय शर्मा निवासी ग्राम मसौदा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष - 2020 में वादी श्री नेहापाल शर्मा पुत्र सुदेश शर्मा के भतीजे पर पेचकश से प्रहार कर गम्भीर रुप से घायल कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.10.2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 762/20 धारा 308 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.12.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.03.2025 को न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी- 04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त चीकू उर्फ लोकेश को 05 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर